



अंत्योदय – सरल



हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
विक्रय के मामले में सम्पत्ति का पुनः अंतरण (अविवादित मृत्यु)  
(सेवा)

योग्यता

मंडियों में किसी प्लॉट/सम्पत्ति के मालिक का कोई भी वसीयत धारक या कानूनी उत्तराधिकारी ।

प्रदान किया गया लाभ

किसी भी मार्केट कमेटी में प्लॉट/ सम्पत्ति धारक मालिक की मृत्यु के मामले में वसीयत धारक या कानूनी उत्तराधिकारी को सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए इस सेवा का लाभ उठा सकता है ।

आवश्यक कागजात

1. परिवार पहचान पत्र
2. पहचान प्रमाण यानि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, (इनमें से कोई एक)
3. कानूनी उत्तराधिकारी या वसीयत धारक का हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र
4. स्वयं प्रमाणित पंजीकृत/अपंजीकृत (कोई भी) वसीयत की प्रति
5. क्षतिपूर्ति बांड की स्व-प्रमाणित विधिवत हस्ताक्षरित प्रति ।
6. कानूनी उत्तराधिकारी या वसीयत धारक से वचनबद्धता/स्वघोषणा पत्र ।
7. मृत्यु प्रमाण पत्र ।
8. रिलीजर द्वारा रिलीक्विशमेंट प्रस्तुत करना (जैसा लागू हो)
9. हस्तांतरण विलेख या बिक्री विलेख/आंवटन पत्र/स्थानांतरण पत्र की स्वयं प्रमाधित प्रति ।

सेवा के लिए शुल्क

सरकारी शुल्क	केन्द्र सेवा शुल्क	अटल सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.)सेवा शुल्क	विभाग स्तर पर भुगतान किया जाने वाला विभाग प्रभार	
			परिवार के सदस्य को हस्तांतरण	परिवार के सदस्य को छोड़कर हस्तांतरण
कोई फीस नहीं	30/-रु0 प्रति आवेदन	30/-रु0 प्रति आवेदन	कोई फीस नहीं	प्रशासनिक शुल्क
				1000/-

आर.टी.एस. समय सीमा : 60 दिन

Helpline: 0172-3968400

Email: saral.haryana@gov.in